कार्यालय नगर पंचायत रामनगर,बाराबंकी।

पत्रांक 2073 /नि0सू0–नया सवेरा/न0पं0रा0/2015   दिनॉक14दिसम्बर,2015

अल्पकालीन निविदा सूचना

संयुक्त सचिव,नगर विकास अनुभाग–9,उ0प्र0शासन,लखनऊ के शासनादेश संख्या–105/2015/आरएफ1059/नौ–9–2015–110आरएफ/15, दिनॉक02दिसम्बर.2015 द्वारा नया सवेरा योजनान्तर्गत नगर पंचायत रामनगर को निम्न कार्य को कराये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।जिसके अनुपालन में नगर पंचायत रामनगर में अनुभवी ठेकेदारो/फर्मो से निविदायें आमन्त्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र दिनॉक 22.12.2015को कार्यालय नगर पंचायत रामनगर में संबंधित पटल से प्राप्त की जा सकेगी एवं पूर्णरूप से भरी हुए निविदा दिनॉक 26.12.2015 को अपरान्ह 02=00बजे तक कार्यालय नगर पंचायत रामनगर में रखे गये निविदा बाक्स में डाली जायेगी ,जो उसी दिन अध्यक्ष महोदय द्वारा निविदादाताओं के समक्ष अपरान्ह 03=00बजे खोली जायेगी। इसके अतिरिक्त ठेकेदार/फर्म को आयकर/व्यापारकर/ वैट आदि के पंजीयन का मूलप्रमाणपत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक निविदा के साथ जमानत धनराशि एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 के रूप में जमा करनी होगी,जो अधिशाषी अधिकारी,नगर पंचायत रामनगर के नाम बन्धक होनी चाहिए।इसके अतिरिक्त जमानत धनराशि निविदा डाले जाने की तिथि तक नकद रूप से भी जमा की जा सकती है। कार्य का विवरण निम्न हैः–

क्र0	कार्य का नाम	आगणन धनराशि (लाख रू0में)	धरोहर धनराशि	निविदा मूल्य4 प्रतिशत वैटसहित	कार्य अवधि
1–	नगर पंचायत रामनगर, बाराबंकी के मोहल्ला लखरौरा के विभिन्न मार्ग पर प्रकाश व्यवस्था कार्य।	116.94	233920/–	11700 +468= 12168	90 दिन

नोटः–

1– निविदा के साथ 100रू0के नोटरी शपथपत्र पर ठेकेदार/फर्म द्वारा निविदा की शर्तो एवं संलग्न अभिलेखों का विवरण स्पष्ट करना होगा।

2– किसी भी अथवा समस्त निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी/सक्षम अधिकारी में निहित होगा।

3– कार्य एवं प्राक्कलन व अन्य जानकारी कार्यालय अवधि में प्राप्त की जा सकती है। कार्य की मात्रा घट–बढ़ सकती है।

4– कार्य की गुणवत्ता उच्चकोटि की मानक के अनुरूप होनी अनिवार्य है। गुणवत्तानुरूप कमी पाये पर 10 प्रतिशत की कटौती की जा सकती है। गुणवत्ता प्रमाणित होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

5– समस्त करों की अदायगी का उत्तरदायित्व ठेकेदार/फर्म का होगा।

6– निविदा के साथ चरित्र प्रमाणनत्र/हैसियत प्रमाणपत्र की मूलप्रति संलग्न करनी होगी,जो निविदा स्वीकृत उपरान्त ठेकेदार को वापस की जायेगी।

7–निविदा में दर का अंकन शब्दों एवं अंकों में करना अनिवार्य है।

क्रमशः

8-कराये गये कार्य/आपूर्ति की गयी सामग्री का रख-रखाव 03वर्ष तक आपूर्तिकर्ता फर्म/ठेकेदार का होगा।

9-उक्त कार्य हेतु नया सवेरा योजनान्तर्गत जारी शासनादेश संख्या-105/2015/आरएफ1059/नौ-9-2015-110आरएफ/15,दिनॉक02दिसम्बर, 2015 में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन ठेकेदार द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा।

अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत रामनगर, बाराबंकी।	चेयरमैन, नगर पंचायत रामनगर, बाराबंकी।

प्रतिलिपि

निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रभारी अधिकारी,स्थानीय निकाय,बाराबंकी।

2- प्रभारी अधिकारी,एन0आई0सी0,बाराबंकी।

3- अवर अभियन्ता(जलकल),नगरपालिका परिषद,नवाबगंज,बाराबंकी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुं प्रेषित।

4- विज्ञापन व्यवस्थापक,जनसन्देश टाइम्स व दैनिक प्रभात,हिन्दी दैनिक समाचारपत्र को इस आशय से कि वह अपने आगामी अंक में न्यूनतम दर पर प्रकाशन हेतु।

5- नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

6- पत्रावली हेतु।

अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत रामनगर, बाराबंकी।	चेयरमैन, नगर पंचायत रामनगर, बाराबंकी